

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम सनत देसाई 2. वर्तमान धारित पद क. यंत्री 3. कार्यालय का नाम उप आर प्रेषण केन्द्र, इन्दौर
 4. वर्तमान वेतन रु. 25690/- + GP 5400/- 5. भविष्य निधि क्रमांक 23436008 6. कर्मचारी संख्या 85971256 SD

संपत्ति का नाम तथा ब्योरे							
उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका अधिकारी/कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया स्वरीद, पट्टा, बंधक विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जितकी गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1. जि. भोपाल नए. डुजुर ग्राम-खेजडा बरामद	-	कृषि भूमि 35 X 75 वर्ग की	रु. आठ लाख (अनुमानित)	पत्नी सीमती सतीता देसाई के नाम	पत्नी द्वारा 16/7/67 को अर्जित किया गया है। पत्नी शाक. सेवा में कार्यरत है	Nil	
2. इन्दौर (म.प्र)	आवासीय भवन		रु. पचास लाख (अनुमानित)	स्वयं तथा पत्नी के संयुक्त नाम पर	क्रिकेता - श्री सुन्दर लाल पाठक) एम.बी.आई से प्राप्त तथा स्वयं एवं पत्नी के बचत से अर्जित किया (श्री अमित डोगल एडवोकेट से)		
3. जि. आगरा	अवलाधिक भवन		रु. पचास लाख (अनुमानित)	स्वयं एवं भाई के नाम	विरासत में		

हस्ताक्षर _____
 नाम सनत देसाई
 पद क. यंत्री

- * जहां लागू न हो काट दीजिए
- ** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतालाया जाए
- *** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं

टिप्पणी-मंडल द्वारा ग्राह्य म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1985 के नियम 19(1) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक 12 महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसकी स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अथवा किसी अन्य लंबित के नाम से पट्टे या बंधक पर धारित स्थावर (अचल) संपत्ति का विवरण देंगे।

इस कार्यालय संपलभ कराया जाना सुनिश्चित करें।
 संलग्न - उपरोक्तानुसार